उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार 21 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 11 मई, 2001)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1– निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।
(भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री मा0 चौधरी देवीलाल के निधन की सूचना पर शोक प्रस्ताव)।

2– अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी ''क'')

3– अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी ''ख'')

4– सदस्यों की गिरफ्तारी, निरूद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों ।

5– मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों ।

6– विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।

7– कार्यस्थगन का प्रस्ताव यदि कोई हो।

8– सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 8 मई, 2001 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का छठा अधिनियम बन गया।

9– संसदीय कार्यमंत्री '' उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यो की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

.....2/–

10— संसदीय कार्यमंत्री '' उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यो की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करेंगे।

11— दिनांक 4 मई, 2001 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा (जारी)।

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
डा0 इन्दिरा ह्रदयेश	''इस सदन का यह निश्चित मत है कि बेरोज़गार नवयुवकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए।''

12— दिनांक 4 मई, 2001 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा (जारी)।

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
श्री भारत सिंह रावत	''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के जातिगत प्रतिशत के आधार पर हो।''

13— निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः—

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संकल्प
1—	श्री अम्बरीष कुमार	''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पालिथीन के प्रयोग, विक्रय एवं क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।''
2—	श्री राम सिंह सैनी	''इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे प्रदेश के क्षेत्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछडे वर्ग के लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं, मेडिकल कालेजों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।''

.....3/—

14— वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :—

"उत्तरांचल विधान सभा द्वारा विचारार्थ निम्नलिखित संकल्प लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

संकल्प

जबकि उत्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि राज्यों के लोक ऋण के विनियमन तथा उससे सम्बंधित अथवा उसके सहायक और प्रासंगिक सभी मामलों के लिए सम्पूर्ण भारत में समरूप कानून होना वांछनीय है :

और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची—II में प्रविष्टि 43 में बताए गए विषय से सम्बद्ध है :

और जबकि संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा प्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची—II में प्रविष्टि 43 में बताए गए विषय से सम्बंधित राज्यों के लिए ऐसा कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है :

और जबकि लोक ऋण अधिनियम, 1944 संघ और राज्य दोनों सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुटाए गए विपणन योग्य ऋणों के लिए लागू है।

और जबकि लोक ऋण अधिनियम, 1944 को सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को सक्षम और सुधारी हुई सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को योग्य बनाने हेतु निरसित और उसे एक नए विधान यथा "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम" द्वारा प्रतिस्थापित करना वांछनीय महसूस किया जाता है।

अतएव अब अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि संसद को सरकारी प्रतिभूतियों से सम्बंधित और उससे सम्बद्ध अथवा उसके सहायक अथवा प्रासंगिक मामलों को कानून द्वारा विनियमित करने के लिए शक्ति प्रदान की जाए।"

15— वन मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :—

"उत्तरांचल विधान सभा द्वारा विचारार्थ निम्नलिखित संकल्प लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

संकल्प

"चूंकि जल प्रदूषण को रोकने के लिए तथा उसे नियंत्रित करने और जल को स्वास्थ्यप्रद बनाये रखने या दूषित जल को पुनः स्वास्थप्रद बनाने के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य के लिए बोर्डों की स्थापना करने तथा ऐसे बोर्डों को उनसे सम्बंधित शक्तियां प्रदान करने और कृत्यों को सौंपने की व्यवस्था करना समीचीन है।

और, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में कुछ अन्य राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किए जाने पर कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1974) अधिनियमित किया जा चुका है और चूंकि संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन

.....4/—

अधिनियम 1978, (अधिनियम संख्या 44 सन् 1978) दिनांक, 12, दिसम्बर 1978 को संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त केवल असम, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रवृत्त किया गया और अन्य राज्यों में प्रवर्तन उन राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसार अधिनियम को अंगीकृत किए जाने के दिनांक से होने का उपबंध किया गया ;

और चूंकि उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में आयी अग्रेत्तर कठिनाइयों को दूर करने तथा अधिनियम के उपबंधों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 1988, (अधिनियम संख्या 53 सन् 1988) अधिनियमित किया गया है ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा उक्त अधिनियम संख्या 6 सन् 1974 दिनांक 6 अगस्त, 1974 को और उक्त अधिनियम संख्या 44 सन् 1978 और अधिनियम संख्या 53 सन् 1988 दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 को उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया था ;

और चूंकि दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया है ;

और चूंकि इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, (अधिनियम संख्या 6 सन् 1974) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 1978, (अधिनियम संख्या 44 सन् 1978) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 1988, (अधिनियम संख्या 53 सन् 1988) को उपरोक्त कारणों से उत्तरांचल राज्य में अंगीकृत किया जाय ;

अतएव, अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, (अधिनियम संख्या 6 सन् 1974), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 1978, (अधिनियम संख्या 44 सन् 1978) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 1988, (अधिनियम संख्या 53 सन् 1988) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय ;''

16— संसदीय कार्यमंत्री '' उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यो की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए।

17— संसदीय कार्यमंत्री '' उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यो की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए।

18— नियम—103 के अन्तर्गत श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा।

''यह सदन कंन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील मुन्स्यारी तथा धारचूला को जनजाति क्षेत्र घोषित करके उस क्षेत्र के जनजातीय तथा गैर जनजातीय स्थायी निवासियों को समान रूप से सुविधायें प्रदान की जाऐं।''

19— नियम—103 के अन्तर्गत श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा।

''इस सदन का यह निश्चित मत है कि सहकारी बैंकों के त्रिस्तरीय ढांचे को बदलकर द्विस्तरीय ढांचे को लागू किया जाय ताकि अनावश्यक खर्चों में कटौती हो सके तथा इन बैंकों को अधिक लाभकारी बनाया जा सके।''

.....5/—

20— सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों के विनियमितिकरण की प्रक्रिया में अल्प कालिक रिक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों के विषय में शासनादेश के सम्बंध में डा0 इन्दिरा ह्रदयेश, सदस्य विधान सभा द्वारा 4 मई, 2001 को दी गई सूचना पर, नियम—51 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

21— उत्तरांचल राज्य में ठाकुरद्वारा से हजारों गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बंध में श्री इशम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा 4 मई, 2001 को दी गई सूचना पर, नियम—51 के अन्तर्गत वित्तमंत्री का केवल वक्तव्य।

22— नियम—51 के अन्तर्गत सूचनायें, यदि कोई हों।

देहरादून।

दिनांक : 11 मई 2001

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र 2001, का
दूसरा शुक्र

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार 21 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 11 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

नत्थी (क)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

—: तारांकित प्रश्न :—

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
17—4—2001

* 1— क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि 28 फरवरी, 2001 के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सभी आई. टी. आई. संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गये हैं कि केवल सम्बन्धन प्राप्त व्यवसायों के विद्यार्थियों को ही संस्था में प्रवेश दिया जाये ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उत्तरांचल में स्थित लगभग 45 आई. टी. आई. संस्थाऐं इस आदेश से कुप्रभावित होगी? शासन इस सम्बंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ? — औद्योगिक विकास

श्री अम्बरीष कुमार

* 2— क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश विकल्पधारी पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश कब तक भेजा जाएगा ? इनके जाने के फलस्वरूप रिक्त होनेवाले निरिक्षक, प्रधान आरक्षी, आरक्षी के पदों पर उत्तरांचल प्रदेश के युवकों को भर्ती किया जाएगा ? यदि हां, तो प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? — गृह

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र 2001, का
दूसरा शुक्र

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
शुक्रवार 21 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 11 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

नत्थी (ख)

—: तारांकित प्रश्न :—

श्री मुन्ना सिंह चौहान
22—2—2001

* 1— क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान कितना शेष है ? क्या सरकार ने भुगतान के लिए कोई समय सीमा तय की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
2—3—2001

* 2— क्या सरकार को ज्ञात है कि शिक्षा को राजगार परक एवं शिल्प कला को प्रोत्साहन दिऐ जाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ जनपद में 1970 से पूर्व कई इण्टर कॉलेज जैसे राजकीय इण्टर कॉलेज मुन्स्यारी पांगू में बहुधन्धी शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें कृषि, मधुमक्खी पालन, भेड पालन रेशम, रंगाई बुनाई की शिक्षा दी जाती थी जिसको उचित ढंग से न संचालित किए जाने से उक्त शिक्षा प्रणाली को बाद में बंद कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार मात्र पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था से बढती बेरोज़गारी को देखते हुए जनपद के कतिपय चुनिन्दा विद्यालयों में इण्टर तक बहुधन्धी शिक्षा हेतु प्रस्ताव करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

8वें सोम के तारा0 6 में स्था0

श्री अम्बरीष कुमार
5—3—2001

* 3— क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को जिनसे उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार की चीनी मिलों को गन्ना मिलता है, उत्तरांचल प्रदेश में सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना व चीनी उद्योग

श्री राम सिंह सैनी
3—3—2001

* 4— क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूड़की की मण्डियों को नवीन मण्डी स्थल पर स्थानांतरण न किए जाने के क्या कारण हैं ? स्थानांतरण न करने से सरकार को मण्डी शुल्क की लगभग कितनी हानि प्रतिमाह उठानी पड़ रही है ?

कृषि

.....2/—

—: अतारांकित प्रश्न :—

श्री मुन्ना सिंह चौहान
9—4—2001

1— क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि नवीन स्थल रूड़की के निर्माण में अनियमित्ताओं की जांच हेतु गठित समिति द्वारा दि0 30—9—99 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में तत्कालीन उपनिदेशक (निर्माण) श्री एस. एस. परमार को गम्भीर अनियमित्ताओं के लिए दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो दोषी पाये गये उक्त अधि0 के विरूद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं और कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी ? कृषि

श्री मुन्ना सिंह चौहान

2— क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश मंडी परिषद से उत्तरांचल के लिए कार्यमुक्त होकर आये अनुसूचित वर्ग के अधिकारी को उपनिदेशक निर्माण के पद पर कार्यभार ग्रहण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उपनिदेशक (निर्माण) का कार्यभार सहायक अभियन्ता को सौंपा गया है तथा उक्त विसंगति का निराकरण कब तक करा दिया जाएगा ? कृषि

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
20—3—2001

3— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में 31 दिसम्बर, 2001 तक कुल कितने विश्व युद्ध (द्वितीय) के सैनिक थे जिनको रू0 250 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है ? क्या सरकार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उ0 प्र0 सरकार की भांति वित्तीय वर्ष 2001—2002 में पेंशन 500 रू0 प्रतिमाह किए जाने पर प्रस्ताव करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? समाज कल्याण

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
3—3—2001

4— क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के हिमालय से लगे क्षेत्र में जनउपयोगी जड़ी—बूटियों का भण्डार है जहां पर रोज़गार व प्रशिक्षण की दृष्टि से केन्द्रीय सुगन्ध पौध संस्थान (सिमैप) की शाखा स्थापित किए जाने हेतु मांग की जा रही है जो केन्द्रीय विज्ञान व प्रोद्योगिकी विभाग के संज्ञान में भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में सिमैप स्थापित किए जाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सहकारिता